

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, एटा, कासगंज, अलीगढ़, हमीरपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ दिनांक: 15 मार्च, 2019।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी के उपयोगार्थ निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 02 इनोवा एवं 06 बोलेरो वाहनो के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि में से 02 इनोवा वाहन प्रतिवाहन रूपयें 13,45,747.00 की दर से रूपयें 26,91,494.00 एवं 06 बोलेरो वाहन प्रतिवाहन रूपयें 6,17,381.00 की दर से रूपयें 37,04,286.00 अर्थात् कुल रूपयें 63,95,780.00 (रूपयें तिरसठ लाख पन्चानबे हजार सात सौ अस्सी मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1-प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

2-उक्त वाहनो का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3-भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरों के आधार पर किया जायेगा।

4-स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष वाहनो का निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत क्रय करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5-वाहन क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निष्प्रयोज्य वाहन सक्षम स्तर के अधिकारी को आवंटित थे और स्वीकृत किया जा रहा वाहन उक्त अधिकारी को नियमानुसार अनुमन्य है।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053- जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14 मोटर गाड़ियों का क्रय मद से किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

4-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-369/दस-2019 दिनांक: 13 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

गिरीश चन्द्र,
उप सचिव।

संख्या -4 /2019/292/एक-4-2019-रा0-4, तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), 30प्र0 इलाहाबाद।
- 3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 4- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 6- राजस्व अनुभाग-6।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गिरीश चन्द्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

ijf'KV&1

I 4 /2019/292/एक-4-2019-रा0-4] fnul%15 elp] 2019A

ftyk/kdkjh dsfu"iz; k; okgu ds QyLo: i buk okgu dk vko/u%

dzla	tuin	Okgu l ;k	vuell; okgu	Lohdr /kujk'k
1	2	3	4	5
1	,Vk	;0ih0&82th-1111] vEcd Mj	bukok	13]45]747-00
2	dkl xat	;0ih0&87th-0001] vEcd Mj	bukok	13]45]747-00
			02	26]91]494-00

¼ i ; a Ncchl yk[k bD; klos gtkj pkj I ksp klos ek=½

vij ftyk/kdkjh dsfu"iz; k; okgu ds QyLo: i cksyjs okgu dk vko/u %

dzla	tuin@ rgl hy	Okgu l ;k	vuell; okgu	Lohdr /kujk'k
1	2	3	4	5
1	vyhx<+	;0ih0&81 , th-0333] vEcd Mj	Okkyjs	617381-00
2	gehj ij	;0ih0&91th-0070] vEcd Mj	cksyjs	617381-00
3	iz kxjkt	;0ih0&70, th-0705] vEcd Mj	cksyjs	617381-00
4	,Vk	;0ih0&82th-0222] vEcd Mj	cksyjs	617381-00
5	ejmckn	;0ih0&21, -th-0345] vEcd Mj	cksyjs	617381-00
6	ckjkcadh	;0ih0&41th-0099] vEcd Mj	cksyjs	617381-00
			06	37]04]286-00

¼ i ; a l shl yk[k pkj gtkj nls I ksfN; kl h ek=½

¼xjh'k plh½
mi I fpoA

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।